

पुलिस

कमिश्ररेट

गौतमबुद्धनगर

सराहनीय कार्य

दिनांक 07.04.2021

1-थाना नॅालेज पार्क पुलिस द्वारा एक लुटेरा अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 लूटा गया मोबाइल फोन व 01 तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस बरामद।

दिनांक 07.04.2021 को थाना नॉलेज पार्क पुलिस द्वारा एक लुटेरा अभि0 दिनेश शर्मा पुत्र पुरूषोत्तम निवासी लडहाना थाना खानपुर जिला बुलन्दशहर को मु0अ0स0 109/2021 धारा 392 भादिव से संबंधित लूटे गये मोबाइल फोन व एक तमंचा 315 बोर मय एक जिन्दा कार0 के साथ कौशल्या चौराहा नॉलेज पार्क 3 से गिरफ्तार किया गया है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

दिनेश शर्मा पुत्र पुरूषोत्तम निवासी लडहाना थाना खानपुर जिला बुलन्दशहर

अभियोग का विवरण-

- 1.मु०अ०स० १०९/२०२१ धारा ३९२ भादवि थाना नॉलेज पार्क
- २.मु०अ०स० १११/२०२१ धारा ३/२५ आयुध अधि० थाना नॉलेज पार्क

बरामदगी का विवरण-

- 1. 01 मोबाइल (संबंधित मु०अ०स० 109/2021 धारा 392)
- 2. एक तमंचा 315 बोर मय एक जिन्दा कार0



2- थाना जेवर पुलिस द्वारा 02 वाहन चोर गिरफ्तार , कब्जे/निशादेही से चोरी की 05 मोटर साइकिल व एक चोरी की मोटर साइकिल के पहिये व पार्ट्स व अवैध शस्त्र बरामद।

दिनांक 06.04.2021 को थाना जेवर पुलिस द्वारा 02 वाहन चोर 1. प्रशान्त पुत्र लोकेन्द्र सिंह निवासी ग्राम बैना थाना टप्पल जिला अलीगढ 2. भीम पुत्र रामवीर निवासी ग्राम कानीगढी कस्बा व थाना जेवर जनपद गौतमबुद्धनगर को खुर्जा अण्डरपास से डुढेरा की तरफ सर्विस रोड से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों की कब्जे/निशादेही पर 05 चोरी की मोटर साइकिलें व एक चोरी की मोटर साइकिल के टायर व पार्ट्स एवं अवैध शस्त्र बरामद किये गये है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

- 1. प्रशान्त पुत्र लोकेन्द्र सिंह निवासी ग्राम बैना थाना टप्पल जिला अलीगढ
- 2. भीम पुत्र रामवीर निवासी ग्राम कानीगढी कस्बा व थाना जेवर जनपद गौतमबुद्धनगर

आपराधिक इतिहास का विवरण-

अभियुक्त प्रशान्त-

- 1.मु०अ०सं० १४३/२०२१ धारा ३७९,४११ भादवि थाना जेवर जनपद गौतमबुद्धनगर ।
- 2.मु०अ०सं० 145/2021 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना जेवर जनपद गौतमबुद्धनगर ।
- 3.मु०अ०सं० १४७/२०२१ धारा ४११,४१४ भादवि थाना जेवर जनपद गौतमबुद्धनगर ।
- ४.मु०अ०सं० ७८/२१ धारा ३७९,४११ भादवि थाना जेवर जनपद गौतमबुद्धनगर ।
- ५.मु०अ०सं० १५४/२०२१ धारा ३७९,४११ भादवि थाना टप्पल जिला अलीगढ ।
- 6.मु०अ०सं० ८८/२१ धारा ३७९,४११ भादवि थाना कासना जनपद गौतमबुद्धनगर ।

अभियुक्त भीम-

- 1.मु०अ०सं० १४३/२०२१ धारा ३७७,४११ भादवि थाना जेवर जनपद गौतमबुद्धनगर
- 2.मु०अ०सं० 146/2021 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना जेवर जनपद गौतमबुद्धनगर ।
- 3.मु०अ०सं० १४७/२०२१ धारा ४११,४१४ भादवि थाना जेवर जनपद गौतमबुद्धनगर
- ४.मु.अ.सं. ७८/२१ धारा ३७९,४११ भादवि थाना जेवर जनपद गौतमबुद्धनगर ।
- 5.मु०अ०सं० ८८/२१ धारा ३७९,४११ भादवि थाना कासना जनपद गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी विवरण-

- 1.एक मोटर साइकिल हीरो स्पलैण्डर आई स्मार्ट लाल रंग नम्बर UP13AQ5459 चैसिस नम्बर MBLHA12ACFHG09479 इंजन नम्बर HA12EMFHG09636 सम्बन्धित मु.अ.सं. 143/2021 धारा 379,411 भादवि थाना जेवर जनपद गौतमबुद्धनगर
- 2.एक मोटर साइकिल हीरो स्पलैण्डर प्रो0 रंग काला नम्बर UP 16 BB 2350
- 3.एक मोटर साइकिल स्पलैण्डर काला रंग नम्बर HR 51 AD 2066
- 4.एक मोटर साइकिल स्पलैण्डर प्लस रंग काला नम्बर UP 16 BZ 8730 सम्बन्धित मु.अ.सं. 88/21 धारा 379,411 भादवि थाना कासना जनपद गौतमबुद्धनगर
- 5.एक मोटर साइकिल स्पलैण्डर प्लस रंग काला नम्बर UP 16 BU 2470 सम्बन्धित मु०अ०सं० 154/2021 धारा 379,411 भादवि थाना टप्पल जिला अलीगढ ।
- 6.एक मोटर साइकिल स्पलेण्डर का फ्रेम जिस पर चैसिस नम्बर MBLHA10A3EHA27804 अंकित है सम्बन्धित मु.अ.सं. 78/21 धारा 379,411 भादवि थाना जेवर जनपद गौतमबुद्धनगर ।
- 7.अभियुक्त प्रशान्त उपरोक्त के कब्जे से एक तमन्या .315 बोर व दो कारतूस जिन्दा .315 बोर ।
- 8.अभियुक्त भीम उपरोक्त के कब्जे से एक तमन्या .315 बोर व दो कारतूस जिन्दा .315 बोर ।



3-थाना बीटा 2 पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड के उपरान्त एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से एक कार होण्डा एसेन्ट, 02 मोबाइल फोन, 02 मास्टर key व अवैध शस्त्र बरामद।

दिनांक 06.04.2021 को बीटा 2 पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड के उपरान्त एक अभियुक्त 1. बन्टी पुत्र हरीशचन्द्र निवासी ग्राम भरतरी थाना गभाना जिला अलीगढ़ को बीटा ओमेक्स मॉल के सर्विस रोड के पास से मय अवैध शस्त्र तथा दो मास्टर key, एक कार होन्डा एसेन्ट के साथ गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

बन्टी पुत्र हरीशचन्द्र निवासी ग्राम भरतरी थाना गभाना जिला अलीगढ

अपराधिक इतिहास का विवरण-

- 1.मु०अ०स० १८९/२०२१ धारा ३०७ भादवि (पुलिस मुठभेड) थाना बीटा २ गौतमबुद्धनगर
- २.मु०अ०स० १९०/२०२१ धारा २५/२७ आयुध अधि० थाना बीटा २ गौतमबुद्धनगर
- 3.मु०अ०स० ७३१/२० धारा ८/२० एनडीपीएस एक्ट थाना बीटा २ गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण-

- 1.एक तमंचा मय खोखा व दो जिन्दा कारतूस 315 बोर
- 2. 02 मास्टर key
- 3.एक कार घटना प्रयुक्त होन्डा एसेन्ट नं0 एचआर 29 एक्स 7850
- 4. 02 खोखा कारतूस .32 बोर फरार अभियुक्त द्वारा पुलिस पार्टी पर चलाये गये
- 5. 02 मोबाइल फोन स्क्रीन टच (रेडमी व विवो)



4- थाना बीटा 2 पुलिस द्वारा इन्शयोरेन्स पॉलिसी रेनुवल कराने के नाम पर लोगो से धोखाधडी कर पैसा हडपने वाला एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 6 आधार कार्ड , 4 चैक , एक पहचान पत्र , एक डायरी , 02 पैन , 07 दस्तावेज छायाप्रति विवरण सूची , 03 मोबाइल फोन व 61 हजार रूपये बरामद।

दिनांक 07.04.2021 को थाना बीटा 2 पुलिस द्वारा इन्शयोरेन्स पॉलिसी रेनुवल कराने के नाम पर लोगों से धोखाधडी कर पैसा हडपने वाला एक अभियुक्त जय उर्फ जयवीर सिंह पुत्र रामवीर सिंह निवासी म0न0 302 बालाजी एन्कलेव शाहबेरी थाना बिसरख जिला गौतमबुद्ध नगर मूल निवासी ग्राम कल्याणपुर थाना अहार जिला बुलन्दशहर को एनटीपीसी सोसायटी से गिरफ्तार किया गया है ,जिसके कब्जे से 6 आधार कार्ड , 4 चैक , एक पहचान पत्र , एक डायरी , 02 पैन , 07 दस्तावेज छायाप्रति विवरण सूची , 03 मोबाइल फोन व 61 हजार रूपये (सम्बन्धित मु0अ0स0 181/2021 धारा 420,467,468,471,406,411 भादवि) बरामद किये गये है।

अपराध करने का तरीका-

अभियुक्त अपने सह अभियुक्त के साथ मिलकर लोगों से इन्शयोरेन्स पॉलिसी रेनुवल कराने के नाम पर धोखाधडी कर पैसा हडपकर अवैध धन अर्जित करते हैं ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

जय उर्फ जयवीर सिंह पुत्र रामवीर सिंह निवासी म0न0 302 बालाजी एन्कलेव शावेरी थाना बिसरख जिला गौतमबुद्ध नगर मूल निवासी ग्राम कल्याणपुर थाना अहार जिला बुलन्दशहर

अभियोग का विवरण-

मु०अ०स० १८१/२०२१ धारा ४२०,४६७,४६४,४७१,४०६,४११ भादवि थाना बीटा - २ गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण-

- 1. 6 आधार कार्ड
- 2. 4 चैक ,
- 3. एक पहचान पत्र
- 4. एक डायरी ,
- 5. 02 पैन ,
- 6. सात दस्तावेज छायाप्रति

- 7. 15 विवरण सूची,
- 8. 03 मोबाइल फोन
- 9. 61 हजार रूपये



#दिनांक 07.04.2021 को थाना दादरी के अन्तर्गत पीआरवी 1271 को इवेन्ट न0-0989 पर कॅालर जगदीश प्रसाद द्वारा सूचना दी कि पैरिफेरल हाइवे पर एनटीपीसी शाहपुर के पास मेरी स्कूटी का एक्सीडेन्ट हो गया है, आसपास कोई सहायता भी नहीं है। इस सूचना पर पी0आर0वी0 किमेंयों के द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुये घटना स्थल पर पहुँ चकर देखा तो उक्त व्यक्ति जगदीश प्रसाद निवासी मसूरी गाजियाबाद का सर फट गया था, जिसके कारण उक्त व्यक्ति लहुलुहान हो गया था, जिसे पीआरवी किमेंयों के द्वारा पीआरवी में बैठाकर उपचार हेतु नजदीकी अस्पताल में एडिमट कराया गया तथा परिजनों को सूचित किया गया। पीआरवी पर नियुक्त कर्मचारियों की तत्तपरता के कारण गम्भीर रूप से घायल हुये व्यक्ति को समय से उपचार दिलाकर एवं उसकी जान बचाकर एक अति सराहनीय एवं उत्कृष्ट कार्य किया गया है, जिस पर स्थानीय व्यक्तियों एवं कॅालर के द्वारा पीआरवी पर नियुक्त कर्मियों की भूरि-भूरि प्रंशसा की गयी।